न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/3/2017

उनवान

1. गोपी आत्मज हांसु जाट निवासी कबराडिया तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
2. भैरू आत्मज हांसु जाट निवासी कबराडिया तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
3. रामसुख आत्मज हांसु जाट निवासी कबराडिया तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
4. नारायण आत्मज हांसु जाट निवासी कबराडिया तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
5. बालु आत्मज हांसु जाट निवासी कबराडिया तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
6. लादु आत्मज चौथू जाट निवासी कबराडिया तहसील माण्डल जिला भीलवाडा मृतक (दिनांक 21.12.2016) के विधिक उत्तराधिकारीगणः—

   6/1 श्रीमती संतोकी पत्नी स्व0 लादू लाल जाट निवासी कबराडिया

   6/2 सुश्री आशा पुत्री स्व0 लादू लाल जाट निवासी कबराडिया

   6/3 विनोद पुत्र स्व0 लादू लाल जाट निवासी कबराडिया

   6/4 सुश्री गोटिया पुत्री स्व0 लादूलाल जाट निवासी कबराडिया

   6/5 मुरली पुत्र स्व0 लादू लाल जाट निवासी कबराडिया तहसील माण्डल नाबालिगान जरिये संरक्षक माता श्रीमती संतोकी पत्नि स्वत्र लादू लाल जाट निवासी कबराडिया तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

7. गोपाल आत्मज चौथु जाट निवासी कबराडिया
8. प्रभु आत्मज चौथु जाट निवासी कबराडिया
9. श्रीमती रामु पत्नी स्वत्र चौथू जाट निवासी कबराडिया
10. चम्पा लाल आत्मज हेमा जाट निवासी कबराडिया
11. रूपा आत्मज मांगू जाट निवासी कबराडिया
12. अमरचन्द आत्मज लोभा जाट निवासी कबराडिया
13. डालचन्द आत्मज मगनीराम ब्राह्मण निवासी कबराडिया
14. प्रेमलाल वल्द मगनीराम ब्राह्मण निवासी कबराडिया
15. श्रीमती बाली पुत्र मगनीराम ब्राह्मण निवासी कबराडिया
16. श्रीमती मांगी पुत्री मगनीराम ब्राह्मण निवासी कबराडिया
17. श्रीमती नन्दु पुत्री मगनीराम ब्राह्मण निवासी कबराडिया
18. बालु पिता रामा जाट निवासी कबराडिया
19. नारायण पिता कल्याण जोशी निवासी कबराडिया तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

अपीलार्थीगण

बनाम

1. रामसिंह आत्मज फौज सिंह राजपूत निवासी कबराडिया तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
2. रघुवीर सिंह आत्मज फौज सिंह राजपूत निवासी कबराडिया तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
3. जीवन सिंह आत्मज सज्जन सिंह राजपूत निवासी कबराडिया तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
4. पूरण सिंह आत्मज नाहर सिह राजपूत निवासी कबराडिया तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
5. शंकर सिंह आत्मज जालम सिंह राजपूत निवासी कबराडिया तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के प्रकरण संख्या 44/2010 निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 12.11.2016

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अधिवक्तागण :—

1. श्री एस एल वैद, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री रणवीर सिंह ,अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1,2,5

निर्णय

दिनांक 31.7.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थीगण/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कबराडिया में आराजी नम्बर 675 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा गैर मुमकिन पाल के कुछ भाग पर वादीगण के समान के श्मशान व पूर्वजों के चबुतरे स्थित है जो राजपूत समाज के हैं। वादीगण ग्राम कबराडिया तहसील माण्डल जिला भीलवाडा के राजपूत समाज के प्रतिनिधि, ग्राम कबराडिया में राजपूतों के करीब 200 व्यक्ति है। उन सभी को पक्षकार बनाना संभव नहीं है वादीगण राजपूत समाज के नुमाईन्दे हैं और समाज में हित रखते है। इस कारण वादीगण प्रतिनिधित्व वाद पेश कर रहे हैं प्रतिनिधित्व वाद पेश करने के लिए प्रार्थीगण ने परमिशन के लिए अलग से प्रार्थना पत्र पेश किया है।

2. राज़पूत समाज का श्मशान घाट आराजी नम्बर के कुछ भाग पर स्थित है व पूर्वजों की समाधी स्वरूप चबूतरे बने हुए है, जो पूर्वजों के प्रति आस्था के प्रतीक है। इन चबुतरों पर राजपूत समाज के व्यक्ति श्रृद्धा सुमन अपिर्तत करते है व प्रार्थना करते हैं । यह श्मशान का उपयोग उपभोग राजपूत समाज के लोग करीब 300 वर्षो से निर्विवाद रूप से कर रहे हैं व उक्त चारों चबूतरे भी बने हुए हैं इनको हटाने का कोई अधिकार प्रतिवादीगण को नहीं है। प्रतिवादीगण दुर्भावना से ग्रसित है इसलिए चबुतरों को उखाडना चाहते हैं व श्मशान को समाप्त करना चाहते हैं। प्रतिवादीगण दिनांक 13 मार्च 2010 को हम सलाह

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

होकर आये व हमारे समाज के बने चबुतरों को हटाने के लिए जे सी बी मशीन से हटाने के लिए आमादा हुए तो वादीगण ने विरोध किया तो कहने लगे की हम तो इन चबूतरों को हटायेंगे व यह भी धमकी दी कि वादीगण राजपूत समाज को श्मशान का उपयोग नहीं करने देगें। इस कारण वादीगण के समाज के व्यक्तियों को भारी परेशानी का सामना करना पडेगा व पूर्वजों के स्मारक स्थल पर श्रृद्धा सुमन अर्पित करने से वंचति हो जायेगें। जिससे वादीगण के समाज के पूर्वजों के प्रति धार्मिक भावना समाप्त हो जायेगी । इस कारण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जाना आवश्यक है कि आराजी नम्बर 675 के कुछ भाग में स्थित वादीगण के समाज के पूर्वजों के बने चबुतरों को न हटावे व श्मशान की भूमि के उपयोग उपभोग में कोई बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करें व न ही किसी अन्य से करावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री द्वारा वादी का वाद पत्र खारिज किया एवं हाल आराजी नम्बर 675 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा में से 17 बिस्वा भूमि गैर मु0 पाल (चबूतरा व श्मशान) पाल राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया। । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी नम्बर 675 जो कि अपीलार्थीगण के खातेदारी अधिकार की भूमि है । जिसके संबंध में अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थीगण/वादीगण ने अपने आपको राजपूत समाज के प्रतिनिधि होना बताते हुए प्रतिनिध वाद पत्र

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी नम्बर 675 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा गैर मुमकिन पाल के कुछ हिस्से के भाग पर 300 वर्ष से वादीगण के समाज के श्मशान व पूर्वजों के चुबतरे स्थित है । जो वादीगण के पूर्वजों के चबूतरे व श्मशान स्थल बने हैं जो वादीगण की आस्था के प्रतीक है जिन्हें प्रतिवादीगण उखाडना व हटाना चाहते हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है अतः उन्हें स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि ग्राम कबराडिया तहसील माण्डल की आराजी नम्बर 675 में वादीगण के पूर्वजों के बने चबुतरे (श्मशान घाट) को ने हटाने व न उन्हें क्षति पहूँचाने व इस आराजी मे स्थित श्मशान भूमि का उपयोग व उपभोग बेरोक टोक वादीगण के समाज के व्यक्तियों को शव का अंतिम संस्कार करने में कोई बाधा उत्पन्न न करें व न करावे। इस पर अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र दिनांक 19.3.2010 को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये परन्तु प्रतिनिधि वाद प्रस्तुत करने पर आदेशिका दिनांक 19. 3.2010 में कोई आवेदन पेश न करने व न प्रतिनिधि वाद के संबंध में प्रकाशन बाबत कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

6. अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी निवेदन है कि दिनांक 16.7.2010 को न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण की ओर से आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन पेश किया गया जिसका जवाब प्रत्यर्थीगण/वादीगण की ओर से पेश किया गया । जिस पर दिनांक 8.5.2012 को लम्बे अन्तराल एवं कई बार पेशियां देने के उपरान्त उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं दिनांक 8.5.2012 को प्रतिवादीगण का आवेदन खारिज किया गया । दिनांक 16.2.2012 को वादीगण द्वारा प्रतिनिधि वाद के कारण अखबार में प्रकाशन में कई बार पेशियों के बाद भी प्रकाशन न कराये जाने से वादीगण के वाद को

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आदेश 9 नियम 3 (5)व्यवहार प्रकिया संहिता के तहत खारिज करने की प्रार्थना की लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन को विलम्ब कारित करने के लिए लगाया जाना मानते हुए दिनांक 12.7.2016 को खारिज कर दिया । जबकि उक्त दिनांक तक अखबार में प्रतिनिधि वाद के बाबत प्रकाशनार्थ पाना क्यों नहीं की गई इस बाबत कोई आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नहीं किया गया ।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि दिनांक 30.8.2016 को जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रतिवादीगण ने अंकित किया कि वादग्रस्त आराजी नम्बर 675 प्रतिवादीगण के खातेदारी हक की आराजी होने से खातेदार ही राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत स्थाई निषेधाज्ञा का वाद ला सकते हैं परन्तु वादीगण वादग्रस्त आराजी के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार नहीं है । प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु हो जाने से उसके विरूद्ध भी वाद नहीं लाया जा सकता है । इसलिए वादीगण का यह वाद सव्यय खारिज किया जावे।

8. इस प्रकार दिनांक 30.8.2016 के बाद दिनांक 27.9. 2016 को नियत रखी गई और आदेश 8 नियम 1 की बहस हेतु दिनांक 28.10.2016 को रखी गई दिनांक 28.10.2016 को पेशी बदल कर बहस हेतु दिनिांक 10.2.2017 को पेशी नियत की गई। किन्तु वादीगण की ओर से दिनांक 11.11. 2016 को इस वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु पत्रावली रखे जाने बाबत आवेदन पेश किया गया । जिस पर प्रतिवादीगण की सुनवाई हेतु कोई सम्मन जारी नहीं करके दिनांक 12.11.2016 को प्रतिवादीगण को सम्मन प्रोसेस से तलब किये बिना एकपक्षीय वादीगण की बहस सुनकर वादीगण के वाद को खारिज करते हुए प्रतिवादीगण की आराजी नम्बर 675 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा के रेकार्डेड

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

खातेदार काश्तकार होते हुए भी उक्त आराजी के 17 बिस्वा रकबा भूमि गैर मुमकिन पाल दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जो खारिज योग्य है।

9. अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दीवानी प्रकिया संहिता के तहत उपबंधित प्रकियात्मक व्यवस्था का पालन नहीं करके बिना तनकी कायम किये , बिना वादीगण एवं प्रतिवादीगण की साक्ष्य लिऐ ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी है जो विधिविरूद्ध नहीं होने से खारिज योग्य है।

10. अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी निवेदन है कि प्रत्यर्थीगण/वादीगण वादग्रस्त आराजी नम्बर 675 जो वादग्रस्त आराजी नम्बर 675 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार नहीं है और रेकार्डेड खातेदार काश्तकार नहीं होते हुए भी अपीलार्थीगण जो कि रेकार्डेड खातेदार हुए भी उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना आराजी नमबर 675 के रकबे में से 17 बिस्वा भूमि को बिलानाम (चबुतरा व श्मशान) करने का निर्णय पारित किया जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

11. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादीगण द्वारा केवल मात्र स्थाई निषेधाज्ञा का वाद ही प्रस्तुत किया गया था जिसमें भूमि धारक अथवा राजस्थान राज्य पक्षकार नहीं है। वादग्रस्त भूमि जो अपीलार्थीगण (प्रतिवादीगण) के खाते में अधिक भूमि दर्ज हो भी गई हो तो केवल राजस्थान राज्य अथवा भूमि धारक को बिना पक्षकार बनाये अथवा उनके द्वारा इन्द्राज दुरूस्ती काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किये जाने बाबत कोई वाद अथवा प्रार्थना पत्र पेश किये बिना अपीलार्थीगण(प्रतिवादीगण) के खाते से भूमि कम करने का जो अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अधीनस्थ

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय ने चाहे जा रहे अनुतोष से परे जाकर जो निर्णय किया है, वह खारिज योग्य है।

12. अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीगण के आवेदन आदेश 9 नियम 3 (5) व्यवहार प्रकिया संहिता का आवेदन खारिज करना अविधिमान्य है क्योंकि प्रत्यर्थीगण/वादीगण के वाद मुताबिक प्रतिनिधि वाद की प्रकिया काफी देरिना स्टेज पर प्रकियात्मक व्यवस्था को दर किनार कर प्रत्यर्थीगण को किस प्रकार रियायत व सुविधा प्रदान की बाबत कोई स्पीकिंग आदेश नहीं करने की भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि अवर न्यायालय द्वारा की जाने से प्रकियात्मक व्यवस्था का अनुपालन नहीं किये जाने से आलोच्य निर्णय व डिक्री दोषपूर्ण होने से खारिज योग्य है।

13. अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी निवेदन है कि वादी जीवन सिंह की वाद के दौरान मृत्यु हो गई थी। जिसके विधिक वारिसान को रेकार्ड पर नहीं लिया गया और रामा पिता त्रिलोक जाट जो प्रतिवादी संख्या 1 के रूप में वाद प्रस्तुतीकरण के समय मृत्यु हो चुकी थी और प्रतिवादी प्यारी का भी निधन वाद के दौरान हो गया था। इसलिए मृतकों के विधिक वारिसान को पक्षकार के रूप में संयोजित न करके प्रत्यर्थीगण ने इन तथ्यो को छिपाते हुए न्यायालय से अपीलाधीन डिक्री व निर्णय मिलीभगत कर प्राप्त किया है। जो त्रुटिपूर्ण होने से खारिज योग्य है। अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपने तर्को की पुष्टि में न्यायिक उद्धरण डी एन जे (2013) 3 पेज 987 एवं डी एन जे 2016 (2) पेज 927 प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थीगण खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

14. अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण का निवेदन है कि जिस पाल की भूमि को अपीलार्थीगण अपनी होने का कथन कर रहे हैं वह पाल की भूमि एक जागीरदार की थी। भू प्रबन्ध के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

दौरान भू प्रबन्ध के कर्मचारियों द्वारा उक्त भूमि को अपीलार्थीगण के खाते में दर्ज कर दी । जबकि वादग्रस्त भूमि पर प्रत्यर्थीगण के समाज के श्मशान स्थल है एवं वहॉ पर चबुतरे बने हुए है।

15. अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थीगण/वादीगण का वाद पत्र खारिज किया है एवं कोई स्थाई निषेधाज्ञा नहीं दी है। वादग्रस्त आराजी का प्रत्यर्थीगण को खातेदार घोषित नहीं किया है। धारा 207 एवं 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पृथक से अनुतोष दिया जा सकता है।

16. अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुराने रेकार्ड एवं नये रेकार्ड को ध्यान में रखकर अपने विवेक का प्रयोग करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधिसम्मत होने से अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

17. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस रकबे को बिलानाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया वह भूमि श्मशान के लिए प्रयोग में आ रही थी। धारा 16 के तहत जिसका किसी को खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकता है। प्रतिनिधि वाद प्रस्तुत करने के संबंध में दिनांक 15.7.2016 को अखबार में नोटिस प्रकाशित करा दिया गया था। जहॉ तक वादी के फौत होने का प्रश्न है उनके द्वारा स्वयं के अधिकारों के लिए वाद पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। दावा प्रतिनिधि की हैसियत से प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय में या माननीय न्यायालय में भी अपीलार्थीगण द्वारा यह नहीं बताया गया कि उनके खाते में अधिक भूमि कैसें आई। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलाथीगण खारिज की जावे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

18. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थीगण/वादीगण ने वादग्रस्त आराजी नम्बर 675 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा जो कि अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के खाते की भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि में से 17 बिस्वा भूमि पर वादीगण के समाज के श्मशान एवं चबूतरे होने का कथन किया एवं साथ ही निवेदन किया कि उक्त भूमि भू प्रबन्ध के दौरान प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज कर दी गई है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने की इस्तदुआ की । अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं प्रतिवादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई तनकियात कायम नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थीगण/वादीगण की ओर से धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया । अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण मात्र स्थाई निषेधाज्ञा हतु लंबित था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना धारा 209 के प्रार्थना पत्र के वादग्रस्त भूमि में से 17 बिस्वा भूमि की किस्म परिवर्तन के आदेश अपीलाधीन निर्णय द्वारा जारी किये गये हैं। इसके संबंध में न्यायिक उद्धरण आर आर डी 2006 मथुरा लाल बनाम मूर्ति मंदिर श्री लाल बिहारी जी प्रेज संख्या 31 का अवलोकन किया गया। जिसमें माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष से पृथक बिना मांगे अनुतोष दिये जाने को विधिसम्मत नहीं माना है। उक्त निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित सिद्धान्तों का भी वर्णन किया है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

19. वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी। यदि भूमि भू प्रबन्ध के दौरान कमी बेसी से दर्ज की गई थी। तो भूमिधारी तहसीलदार को प्रकरण में आवश्यक पक्षकार बनाया जाना चाहिये था। जिन्हें अपीलाधीन मामले में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है। दौराने विचारण यदि किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तो उनके विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लिया जाना नितान्त आवश्यक है। अपीलाधीन मामले में वादी जीवन सिंह एवं दो प्रतिवादीगण की मृत्यु होने के उपरान्त भी उनके वारिसान को रेकार्ड पर नहीं लिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना का पूर्णतः पालन नहीं कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

20. अतः अपील अपीलार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.11.2016 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण को उपरोक्त ऑब्जर्वेशन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में भूमिधारी तहसीदार को पक्षकार कायम कर विधिक प्रकिया का पालन करते हुए पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जावे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक27.9.18 को उपस्थित रहें।

21. निर्णय आज दिनांक 31.7.2018 को सरे इजलास में सुनाया गया ।

31/7/18

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा